

मुकदमा नंबर सन्..20

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख अहकाम
जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

Sir,
वादीगण की तरफ से
रिहायत चरवी नहीं है
21-08-2019

21/8/19 वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित/उपस्थित
होकर निवेदन किया कि वादीगण की तरफ से रिहायत
पैवनी नहीं है-एव आदेशिका पर संक्रिय किया।
वादीगण को आज इजलास उठने तक वाइ बाइ कावोजे
लगावाइ गई। परन्तु उनकी ओर से कोई अडालत
उपस्थित नहीं आया अतः एकरा अडम पैवनी
अडम हाजिरी में खारिज किया जाता है मिसल
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। बाद वक्तर
दाखिल हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

